न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

जी0आर0सं0–639/2020

दाउदनगर थाना कांड संख्या–218/2020

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री मनोज कुमार (अ0 पदाधिकारी)।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री मनोज कुमार ।

21.08.2020 कारादीन अभियुक्त वीरजीत कुमार उर्फ विजेन्द्र कुमार उर्फ छोटू की ओर से शक्ति पत्र के साथ ई–फायलिंग के तहत जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदा0 को दी गई है ।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के तहत वाद पुकार पर के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया गया है । आवेदक के पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी नही हुई है । आवेदक का टी.आई.पी परेड नही कराया गया है । आवेदक का नाम इस वाद के अन्य सह अभियुक्त रौशन कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है । दाउदनगर पुलिस के द्वारा आवेदक से सादा कागज पर हस्ताक्षर ले लिया गया है । आवेदक दिनांक–15.08.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि उक्त वाद की प्राथमिकी धारा 395 & 397 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दर्ज की गई है । संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक–30.07.2020 को समय करीब 10:50 बजे इंडियन बैंक की शाखा जिनोरियों में आठ–दस अज्ञात अपराधियों के द्वारा घुसने लगे । गार्ड जब रोकने का प्रयास किया तो उसके साथ मारपीट किया गया तथा कट्टा के बट एवं चाकू से मारकर गार्ड को जख्मी कर दिया उसके बाद अपराधियों ने चाकू एवं पिस्तौल का भय दिखाकर बैंक का चौसठ लाख रूपया लूट लिया । बैंक के अंदर मौजूद ग्राहक को कमरे में घुसा कर बाहर से बंद कर दिया उसके बाद तीन मोटरसाईकिल से अपराधी दाउदनगर के तरफ भाग गये । आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नही है, बल्कि उनका नाम अनुसंधान के क्रम में आया है । अभिलेख पर उक्त वाद के अन्य अभियुक्तगण नामतः रौशन कुमार उर्फ लड्डु, बिनोद कुमार यादव उर्फ छोटू, मो0 नेसार आलम एवं सुदर्शन रविदास उर्फ मास्टर का स्वीकारोक्ति बयान अभिलेख पर है, जिसमें उक्त कारित घटना में आवेदक की संलिप्तता से सम्बन्धित कथन किया है । अभिलेख पर उपरोक्त अभियुक्त का भी स्वीकारोक्ति बयान है, जिसने उक्त घटना में अपनी संलिप्तता का कथन किया है । आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है । उक्त वाद में अनुसंधान जारी है । अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।